संख्या– 117 /85–परती–2014/10(IWMP)/2014

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव,**
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0शासन।

2. **प्रमुख सचिव,**
कृषि विभाग,
उ0प्र0शासन।

3. **प्रमुख सचिव,**
परती भूमि विकास विभाग,
उ0प्र0शासन।

4. **प्रमुख सचिव,**
वन विभाग,
उ0प्र0शासन।

परती भूमि विकास विभाग **लखनऊ** **दिनॉक 15 दिसम्बर, 2014**

विषयः– आईडब्लूएमपी परियोजना में नामित परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी/अधिकारियों के वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के अंकन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी का मन्तव्य प्राप्त किया जाना।

महोदय,

भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (सम्प्रति भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग) के नियंत्रणाधीन रामगंगा समादेश/शारदा सहायक समादेश तथा कृषि विभाग की भूमि संरक्षण अधिकारी एवं वन विभाग के अधिकारी परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी नामित है।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग–1 (अधि0) उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–631 / बीस–1–ई–2014–यू0ओ0–75/11 दिनांक 17.4.2014 द्वारा सिंचाई विभाग व भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग का संविलियन करते हुए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के रूप में नये विभाग का गठन किया गया है। पुनगर्ठन के क्रम में भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन (IWMP) का कार्य स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित परती भूमि विकास विभाग को स्थानान्तरित किया गया है।

संदर्भगत विषय पर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 12.08.2014 की बैठक में विचार विमर्श हुआ तथा निर्णय लिया गया कि IWMP योजना के संचालक परती भूमि विकास विभाग का कार्यदायी संस्थाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण न होने के कारण योजना के कियान्वयन हेतु उत्तरदायी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन रामगंगा समादेश एवं शारदा सहायक समादेश तथा कृषि विभाग के सम्बन्धित उप निदेशक/ भूमि संरक्षण अधिकारियों एवं वन विभाग के कार्यदायी संस्थाओं को विभागीय अधिकारियों द्वारा वार्षिक चरित्र प्रविष्टि देते समय परियोजनाओं में उनके द्वारा किये गये कार्यो के सम्बन्ध में

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी का मन्तव्य प्राप्त करने के पश्चात् चरित्र प्रविष्टि में इसका उल्लेख किया जाए। आई.डब्लू.एम.पी. परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी अन्य कार्यदायी संस्थाओं के सम्बन्धित अधिकारियों पर भी यह निर्देश प्रभावी होंगे।

कृपया तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या– 117(1)/85–परती–2014/10(IWMP)/2014 तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश परियोजना, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
3. समस्त जिलाधिकारी (गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कासगंज एवं शामली को छोड़कर) उ0प्र0।
4. कृषि निदेशक, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रशासनिक अधिकारी, एसएलडीसी, अष्ट्म तल, एल्डिको कारपोरेट टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र कुमार)
उप सचिव